PUBLIC WORKS DEPARTMENT

IRRIGATION DEPARTMENT

Correction Slip

In Haryana Government Irrigation and Power Department Notification No. 5786/2-L, dated 2nd May, 1975 and declaration No. 10733/2-L, dated 21st July, 1975 published in *Haryana Government Gazette* No. Page 1036, Part-I, dated August, 1975 and page 649, dated May, 1975 under sub-section (4) of section 17 and section 6 of the Land Acquisition Act of 1894 for constructing Civil Store-cum-Mechanical Workshop opposite 40/5 Kilometer Stone on Jui to Satnali Road in village Badhra in tehsil Dadri, district Bhiwani on the Basis of Kistwar No. 508/3. After the Notification consolidation was finalized in village Badhra which are mentioned below for notification :—

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Rectangle/Killa Numbers No.
Bhiwani	Dadri	Badhra	40	206, 116/15, 115/11
				Area 2.63 Acres.

By order of the Governor of Haryana.

S. D. NARANG,

Superintending Engineer,
Loharu Canal Circle, Rohtak.

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 7th October, 1986

No. **11614**.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the Government at the public expenses, namely for Shifting head of Guhna Minor for the length 904 ft from RD 39567—38750 left to RD 39307/38490 left Bhainswal Distributary in Village Dodwa and Bohla in Tehsil and District Sonepat.

It is hereby notified that land in the locality below is required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom it may be concerned.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises of the Officers of the Public Works Department, Irrigation Department, Haryana with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within a period of thirty days of publication of this notification, file objections in written before the Land Acquisition Collector, Public Works Department, Irrigation Branch, Rohtak and Executive Engineer, Rohtak Division Western Jamuna Canal, Rohtak.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Hadbast Number	Area in acres	Boundary/Khasra Number
Sonipat	Sonipat	Dodwa	148	0·12	A strip of land measuring 904 Feet in length and varying in width passing through Rectangle/Full Part Killa Number as below : REC 60/10, 11 Path No. 86

District	Tehsil	Village	Hadbast Number	Area in acres	Boundary/Khasra Number
Sonipat	Sonipat	Bohla	150	0·91	REC 13 9, 11/1, 12, 11/2, 19/2, 20/1, 21/2, 22 REC 17 1/2 And Generally lying in the direction from West to East and demarcated at site and as shown on the Index Plan.

By order of Governor of Haryana.

(Sd.) . . .

Superintending Engineer,
Western Jamuna Canal (West) Circle,
Rohtak,

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 1 अक्तूबर, 1986

सं०ओ०वि०/एफ.डी./156-86/36469.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि अमरपाली स्ट्रक्चरल प्रा. लि., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कमलेश्वर सिंह, पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, गांव कसवा मकेर अंजनी डा. मकेर, जिला छपरा (बिहार) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रत या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यानिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री कमलेश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ.डी./125-86/36476.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हितकारी पोटरीज, 63-64, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फरीदाबाद (2) जतीन वैल्डिंग वर्कस, 2-ई/200, एन.आई.टी, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री मुकन्द लाल मार्फत श्री आर.एल. शर्मा, 1के/16 एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके ब लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सोहन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग ।